रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 248] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 30, 2010/आश्विन 8, 1932
No. 248] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 30, 2010/ASVINA 8, 1932

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2010

सं. एल-1/42/2010-केंविविआ.—केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 के अधीन तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :**

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (ऊर्जा प्रदाय का विनियमन) विनियम, 2010 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं**

(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से, अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36), जिसमें उसके संशोधन भी हैं, अभिप्रेत है;

(ख) "करार" से फायदाग्राही तथा उस उत्पादन कंपनी, जिसके स्वामित्वाधीन उत्पादन केंद्र हैं, के बीच ऊर्जा क्रय करार या, यथास्थिति, फायदाग्राही तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के बीच थोक ऊर्जा पारेषण करार या ऐसा कोई अन्य करार अभिप्रेत है जो उत्पादन कम्पनी/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तथा फायदाग्राहियों के बीच किसी भी नाम से किया गया हो;

(ग) "फायदाग्राही" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे विद्युत आबंटित की गई है या दीर्घकालिक पहुंच या मध्य-कालिक निर्बाध पहुँच के माध्यम से उत्पादन केंद्र से उत्पादित विद्युत का प्रदाय किया जा रहा है या जो यथास्थिति, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की पारेषण प्रणाली का उपयोक्ता है;

(घ) ''आयोग'' से अधिनियम की धारा 76 में निर्दिष्ट केंद्रीय विद्युत विनियामक अभिप्रेत है;

(ङ) ''व्यतिक्रमी इकाई'' से ऐसा फायदाग्राही अभिप्रेत है जिसके पास उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के बकाया शोध्य हों या अपेक्षित प्रत्यय-पत्र को या करार-निबंध में किसी अन्य तय संदाय प्रतिभूति तंत्र को बनाए नहीं रखता हो;

(च) ''व्यतिक्रम करने की तारीख'' से वह तारीख अभिप्रेत है जिस तारीख को संदाय में व्यतिक्रम किया गया हो या प्रत्यय-पत्र को बनाए रखने में व्यतिक्रम किया गया हो या किसी अन्य तय संदाय प्रतिभूति तंत्र में व्यतिक्रम किया गया हो।

स्पष्टीकरण 1 : शोध्यों की असंदाय की दशा में, यह तारीख, यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बिल की तामील की तारीख से 60 दिन की अवधि के पूरा करने के पश्चात् अगले कार्य दिवस होगी।

स्पष्टीकरण 2 : अपेक्षित प्रत्यय-पत्र या किसी अन्य तय संदाय प्रतिभूति तंत्र का रखरखाव न करने की दशा में, व्यतिक्रम करने की तारीख करार के अनुसार, समाप्त हुई संदाय प्रतिभूति तंत्र की तारीख के पश्चात् तीसरे कार्यदिवस होगी;

(छ) ''भार प्रेषण केंद्र'' से यथास्थिति, प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र या राज्य भार प्रेषण केंद्र अभिप्रेत है;

(ज) ''बकाया शोध्य'' से उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के ऐसे शोध्य अभिप्रेत हैं जो फायदाग्राहियों को बिल की तामील की तारीख से 60 दिन की अवधि के बाद भी असंदत्त हों;

(झ) ''विनियमन इकाई'' से व्यतिक्रमी इकाई के ऊर्जा प्रदाय को विनियमित करने के लिए आयोग की अधिकारिता के भीतर, यथास्थिति, ऐसी उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अभिप्रेत है जिन्हें प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र या राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा अधिसूचित किया गया है;

(ञ) ''विनियमित इकाई'' से ऐसी व्यतिक्रमी इकाई अभिप्रेत है जिसकी ऊर्जा का प्रदाय इन विनियमों के अनुसार किया जाता है;

(ट) ''उपयोक्ता'' से उत्पादन कंपनी, जिसमें कैप्टिव उत्पादन संयंत्र या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (केंद्रीय पारेषण उपयोगिता और राज्य पारेषण उपयोगिता से भिन्न)

या वितरण अनुज्ञप्तिधारी या थोक उपयोक्ता जैसे ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जिनके विद्युत संयंत्र 33 केवी और उससे ऊपर के स्तर पर आईएसटीएस से जुड़े हों;

(2) यथापूर्वोक्त के सिवाय तथा जब कि संदर्भ के विरूद्ध न हो या यदि विषय-वस्तु से अन्यथा अपेक्षित हो, इसमें प्रयुक्त शब्दों तथा अभिव्यक्तियों, जो यहां परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, का वहीं अर्थ होगा जो अधिनियम में है।

3. विस्तार तथा लागू होना

ये विनियम उन उत्पादन केंद्र तथा पारेषण प्रणाली को लागू होंगे जहां बकाया शोध्यों के असंदाय या प्रत्यय-पत्र या किसी अन्य तय संदाय प्रतिभूति तंत्र को बनाए न रखने की दशा में, ऊर्जा प्रदाय के विनियमन के लिए यथास्थिति, फायदाग्राही तथा उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के बीच करार में विनिर्दिष्ट उपबंध हों।

अध्याय 2
ऊर्जा प्रदाय के विनियमन की प्रक्रिया

4. यदि बकाया शोध्यों या अपेक्षित प्रत्यय-पत्र या किसी अन्य तय संदाय प्रतिभूति तंत्र को करार के अनुसार नहीं बनाए रखा जाता है तो उत्पादन कंपनी की दशा में, यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी निकासी अनुसूची में कमी करने के लिए या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की दशा में, अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली से निर्बाध पहुंच/पहुंच को वापस लेने के लिए व्यतिक्रमी इकाई को ऊर्जा प्रदाय के विनियमन के लिए सूचना की तामील करेंगे। ऐसी सूचना की तामील व्यतिक्रम करने की तारीख को या उसके पश्चात् की जा सकेगी तथा जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे सम्मिलित होंगे :

(क) व्यतिक्रमी इकाई के विरूद्ध बकाया शोध्यों की रकम या, यथास्थिति, प्रत्यय-पत्र या कोई अन्य तय संदाय प्रतिभूति तंत्र को बनाए न रखने की अवधि;

(ख) व्यतिक्रमी इकाई की निकासी अनुसूची में कटौती की मात्रा तथा अवधि यदि विनियमित इकाई उत्पादन कंपनी है या यदि विनियमित इकाई पारेषण अनुज्ञप्तिधारी है, यथास्थिति, मध्यकालिक निर्बाध पहुंच और/या दीर्घकालिक पहुंच को इंकार करने की मात्रा तथा अवधि :-

परंतु यह कि यदि विनियमित इकाई उत्पादन कंपनी है तो ऐसी सूचना में निम्नलिखित अतिरिक्त ब्यौरे भी सम्मिलित होंगे :

(i) ऊर्जा के स्रोत, जिससे ऊर्जा प्रदाय के विनियमन की दशा में कटौती/उपयोजन किया जाना है तथा उनमें से प्रत्येक से ऊर्जा की निकासी अनुसूची/अपयोजन की कटौती की अवधि के साथ मात्रा; तथा

(ii) क्या व्यतिक्रमी इकाई की निकासी अनुसूची में कटौती से उत्पादन में कटौती होनी की संभावना है या विनियमन के परिणामस्वरूप उपलब्ध अधिक ऊर्जा को प्रत्यक्षतः या व्यापारी के माध्यम से किसी अन्य इकाई को बेचा जाना है; तथा

(iii) ऊर्जा के अपयोजन की दशा में, उस व्यक्ति की विशिष्टियां जिसको ऊर्जा पथांतरित की जानी है तथा यदि अग्रिम में अवधारित किया गया है, तो ऐसे व्यक्ति से प्रभारित की जाने वाली तय कीमत;

परंतु यह कि पावर एक्सचेंज या अन्यथा के माध्यम से विक्रय की दशा में, जब भी ऐसी कीमत का पता लगता है तो उन कीमतों की सूचना दी जा सकेगी :

परंतु यह और कि जहां विनियमित इकाई पारेषण अनुज्ञप्तिधारी है, वहां ऐसी सूचना में वह पारेषण लाइन या पारेषण कॉरीडोर भी सम्मिलित होगा जिस पर व्यतिक्रमी इकाई के लिए उन प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र/केंद्रों के परामर्श से मध्यकालिक निर्बाध पहुंच और/या दीर्घकालिक पहुंच को निर्बंधित किया जाता है, जिनके नियंत्रण में पारेषण लाइन या पारेषण कारीडोर अवस्थित है तथा ऊर्जा के स्रोत, उस कारीडोर का अधिमानतः सुलभ ऊर्जा केंद्र जिसको प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र/राज्य भार केंद्र द्वारा निर्बंधित किया जाना है।

5. विनियम 4 के अधीन विनियमित इकाई द्वारा सूचना की एक प्रति कार्यान्वयन योजना तैयार करने के अनुरोध के साथ उस प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र या राज्य भार प्रेषण केंद्र को भेजी जाएगी जिसके नियंत्रण क्षेत्र में विनियमित इकाई अवस्थित है । सूचना की प्रति की तामील संबंधित अन्य प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र, राज्य भार प्रेषण केंद्र तथा प्रादेशिक ऊर्जा समिति को भी की जाएगी :

परंतु यह कि ऊर्जा प्रदाय के विनियमन की कार्यान्वयन योजना तैयार करने के लिए सूचना तथा अनुरोध की प्रति की तामील व्यतिक्रमी इकाई, संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र, राज्य भार प्रेषण केंद्र तथा प्रादेशिक ऊर्जा समिति को की जाएगी तथा उसे ऊर्जा प्रदाय के विनियमन के प्रारंभ की प्रस्तावित तारीख के कम से कम 3 दिन अग्रिम में विनियमित इकाई की वेबसाइट पर डाला जाएगा :

परंतु यह और कि विनियमित इकाई संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र/राज्य भार प्रेषण केंद्र को क्षतिपूरित, प्रतिरक्षित तथा सुरक्षित करेगा तथा सभी नुकसानियों, हानियां, दावों तथा कार्रवाई, मांगों, वादों, वसूलियों, लागत और खर्चों, न्यायालय लागत, अटॉर्नी

फीस, या इन विनियमों के अधीन ऊर्जा के विनियमन के परिणामस्वरूप उद्भूत तीसरे पक्षकारों द्वारा या उनकी सभी अन्य बाध्यताओं से उनकी अपहानि कर करेगा।

6. विनियम 4 के अधीन तथा तत्पश्चात् तीन दिन के भीतर सूचना की प्राप्ति पर उस संबंधित भार प्रेषण केंद्र/राज्य भार प्रेषण केंद्र, जिसकी अधिकारिता के भीतर, व्यतिक्रमी इकाई अवस्थित है, ऊर्जा प्रदाय के विनियमन को कार्यान्वित करने के लिए लिखित में योजना तैयार करेंगे तथा उक्त योजना के बारे में विनियमन इकाई, विनियमित इकाई, संबंधित भार प्रेषण केंद्र, राज्य ऊर्जा समितियों तथा प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्रों को सूचित करेंगे तथा अपनी वेबसाइट पर कार्यान्वयन योजना को डालेंगे :

परंतु यह कि यदि, यथास्थिति, संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र या राज्य भार प्रेषण केंद्र की राय में, विनियमन इकाई द्वारा किए गए ऊर्जा प्रदाय का विनियमन करने का प्रस्ताव अभिभावी प्रणाली परिस्थितियों के अधीन नहीं किया जा सकता है तब वह लिखित में अपने विनिश्चय की सूचना विनियमन इकाई को तथा विनियम 4 के अधीन सूचना की प्राप्ति के तीन कार्य दिवस के भीतर ऐसे विनियमन के आधार पर सूचना उस संभावित तारीख के साथ देंगे जिस तारीख को विनियम कार्यान्वित किया जा सकता है।

7. कार्यान्वयन के लिए योजना, यथास्थिति, संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र या राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा ऐसी रीति से तैयार की जाएगी जिस रीति में निकासी अनुसूची में कटौती की रकम में विनियमन इकाई द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मात्रा में उत्तरोत्तर रूप से वृद्धि होगी। ऐसी उत्तरोत्तर वृद्धि करार के अनुसार, यदि करार में ऐसा उल्लिखित है, होगी :

परंतु यह कि ऊर्जा प्रदाय के अतिरिक्त विनियमन की प्रत्येक मामले में, वास्तविक कार्यान्वयन से पूर्व विनियम 4 के अधीन तीन (3) दिन की अग्रिम सूचना दी जाएगी।

8. विनियमन इकाई के लिए ऊर्जा प्रदाय के विनियमन को, जब तक कि विनियमन इकाई ऊर्जा प्रदाय में विनियमन के रद्दकरण का अनुरोध नहीं करती है, प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र/राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार सूचना के चौथे दिन से कार्यान्वित किया जाएगा।

9. यदि विनियमन इकाई ऊर्जा प्रदाय के विनियमन को वापस या स्थगित करने का विनिश्चय करती है तो वह अपने विनिश्चय की सूचना, यथास्थिति, संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र या राज्य भार प्रेषण केंद्र को तथा व्यतिक्रमी इकाई को, उसके कारणों के साथ, लिखित में देगी :

परंतु यह कि ऊर्जा प्रदाय के विनियमन को वापस लेने/स्थगन की संसूचना ऐसे विनियमन के वापस लिए जाने या स्थगन के दिन के कम से कम दो दिन पूर्व दी जाएगी :

परंतु यह और कि विनियमन इकाई इस बात को ध्यान में रखते हुए, ऊर्जा प्रदाय के विनियमन को वापस लिए जाने के समय तथा तारीख की यह संसूचना देगी कि ऊर्जा प्रदाय का विनियमन बकाया शोध्यों को वसूलने के पश्चात् तत्काल वापस लिया जाना है।

10. जहां विनियमित इकाई उत्पादन कंपनी तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी दोनों का संदाय करने में व्यतिक्रम करती है वहां इन व्यतिक्रमियों के लिए विनियमन इकाई पर ऊर्जा प्रदाय के विनियमन का कार्यान्वयन साथ-साथ किया जाएगा। बकाया शोध्यों के मद्दे समायोजन इन विनियमों के विनियम 17 के अनुसार किया जाएगा।

11. (1) ऊर्जा प्रदाय के विनियमन की अवधि के दौरान, विनियमन इकाई राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा दी गई पुनरीक्षित अनुसूची के लिए अपनी निकासी को निर्बंधित करेगा तथा निकासी अनुसूची से विचलन, यदि कोई हो, समय-समय पर यथा संशोधित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अननुसूचित विनिमय प्रभार तथा सहबद्ध विषय) विनियम, 2009 के अनुसार अननुसूचित विनिमय प्रभारों के अधीन रहते हुए होगा।

(2) ऊर्जा प्रदाय के विनियमन की अवधि के दौरान, यथास्थिति, प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र या राज्य भार प्रेषण केंद्र ग्रिड सुरक्षा पर विचार करते हुए, ऊर्जा प्रदाय के विनियमन पर विचार करेगा तथा यदि उसकी राय में ग्रिड सुरक्षा को आसन्न खतरा है तो ऊर्जा प्रदाय के विनियमन की योजना का कार्यान्वयन अस्थायी रूप से निलंबित कर सकेंगे।

(3) संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र क्षेत्र के सदस्य-सचिव, प्रादेशिक ऊर्जा समिति को ऊर्जा प्रदाय के विनियमन को कार्यान्वित करने की सूचना देगा।

अध्याय 3
उत्पादन कंपनी द्वारा विनियमन

12. (1) उत्पादन कंपनी संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र द्वारा यथा अभिनिश्चित ग्रिड सुरक्षा के अधीन रहते हुए, ऊर्जा प्रदाय के विनियमन के दौरान किसी व्यक्ति, जिसमें कोई भी विद्यमान फायदाग्राही सम्मिलित है; को ऊर्जा प्रदाय के विनियमन के कारण अधिशेष ऊर्जा का विक्रय करने का हकदार होगी, यदि उपरोक्त विकल्प संभव नहीं है तो उत्पादन में कटौती कर सकेगी। उत्पादन कंपनी, यथास्थिति प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र या राज्य भार प्रेषण केंद्र, व्यतिक्रमी इकाई तथा क्षेत्र के सदस्य-सचिव, प्रादेशिक ऊर्जा समिति को ऐसे विक्रय की मात्रा, अवधि तथा दर के बारे में सूचित करेगी :

परंतु यह कि जब तक कि करार में अन्यथा उपबंधित न हो, उत्पादन केंद्र की क्षमता प्रभारों का संदाय करने का दायित्व, जिसकी बाबत अनुसूची को निर्बंधित किया गया है, विनियमन इकई का होगा।

(2) ऊर्जा के पथांतर की दशा में, निर्बाध पहुंच को समय-समय पर यथासंशोधित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियमन, 2009 तथा केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण के लिए संयोजकता, दीर्घकालिक पहुंच तथा मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करना तथा सहबद्ध विषय) विनियमन, 2009 के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

13. ऊर्जा प्रदाय के विनियमन के कारण उत्पादन कंपनी द्वारा अधिशेष ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त रकम को उत्पादन कंपनी द्वारा वहन किए गए ऊर्जा प्रभारों, व्यापार मार्जिन और अन्य आनुषंगिक खर्चों, यदि कोई हों, की कटौती करने के पश्चात् विनियमन इकाई को बकाया शोध्यों के प्रति समायोजित किया जाएगा तथा शेष रकम, यदि कोई हो, विनियमित इकाई को दी जाएगी। जैसा ऊपर विनियम 9 में उल्लिखित है, ऊर्जा प्रदाय का विनियमन बकाया शोध्यों की वसूली के शीघ्र पश्चात् वापस लिया जाएगा।

14. जल रिसाव से बचने के लिए, हाइड्रो उत्पादन केंद्र के माध्यम से, ऊर्जा प्रदाय के विनियमन के दौरान, यदि विक्रेता अधिशेष ऊर्जा की पूर्ण मात्रा को नहीं पा सकता है या नहीं पाता है तो उत्पादन केंद्र अननुसूचित विनिमय (यूआई) तंत्र के अधीन ऊर्जा को तब अंतःक्षेपित कर सकता है यदि ग्रिड की परिस्थिति उस प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र, जिसमें वह अवस्थित है, की अनुज्ञा से, समय-समय पर यथासंशोधित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अननुसूचित विनिमय प्रभार तथा सहबद्ध विषय) विनियम, 2009 के अनुबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसा अनुज्ञात करती है। जल रिसाव की दशा में, ऊर्जा प्रभार की हानि, पहले प्रभार पर ऊर्जा की बिक्री के माध्यम से और/या विनियम के कारण अधिशेष ऊर्जा के अतःक्षेपण से अर्जित राजस्व होगी तथा अतिशेष रकम को विनियम 13 के अनुसार समायोजित किया जाएगा।

अध्याय 4
पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विनियमन

15. ऊर्जा प्रदाय को विनियमित करने के लिए पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों के अनुरोध पर प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र संबंधित उत्पादन कंपनी को सूचना देते हुए, इन विनियमों के विनियम 4 के अधीन तामील नोटिस के अनुसार विनिमयन के कारण, अधिमानतः उस कॉडीडोर में सुलभ उत्पादन केंद्र से, व्यतिक्रमी इकाई द्वारा आबंटित ऊर्जा या संविदागत ऊर्जा प्रदाय के मध्यकालिक निर्बाध पहुंच या दीर्घकालिक पहुंच में कटौती कर सकेगा। विनियमन पारेषण अनुज्ञप्तिधारी उन संबंधित उत्पादन कंपनियों, जिन्होंने विनियमित इकाई को ऊर्जा की बिक्री के लिए संविदा की है, तथा संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र के परामर्श से निर्बाध पहुंच/पहुंच की मात्रा/इंकार की अवधि का विनिश्चय कर सकेगा। पारेषण अनुज्ञप्तिधारी प्राक्कलित कीमत, उन उपदर्शनों, जिसे पावर एक्सचेंज यूनिफार्म मार्किट क्लियरिंग कीमत से लिया जा सकता है तथा प्रत्यक्षतः व्यापारियों के माध्यम से बेची गई

विद्युत की अभिभावी कीमत के आधार पर ऊर्जा प्रदाय के विनियमन की मात्रा तथा अवधि का प्रस्ताव कर सकता है।

16. उत्पादन कंपनी, निर्बाध पहुंच में कटौती के परिणामस्वरूप ऊर्जा प्रदाय के विनियमन के दौरान, किसी भी व्यक्ति को, जिसमें विद्यमान फायदाग्राही भी हैं, ऊर्जा प्रदाय के विनियमन के कारण अधिशेष पड़ी ऊर्जा को बेचने का हकदार होगा। इस ऊर्जा की बिक्री के कारण प्राप्त राजस्व का उपयोग निम्नलिखित क्रम में किया जाएगा :

क) उत्पादन कंपनी के ऊर्जा प्रभार तथा कोई भी आनुषंगिक खर्चों; जिसमें व्यापार मार्जिन भी है, का संदाय करने के लिए, यदि ऊर्जा को व्यापारी के माध्यम से बेचा जाता है।

ख) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के बकाया शोध्यों का संदाय करने के लिए।

ग) विनियमित इकाई को दी जाने वाली कोई शेष रकम।

17. निकासी अनुसूची की ऐसी कटौती की दशा में, उत्पादन कंपनी में उसके मूल शेयर के लिए क्षमता प्रभारों का संदाय करने का दायित्व विनियमित इकाई का होगा।

18. जल रिसाव से बचने के लिए, हाइड्रो उत्पादन केंद्र के माध्यम से, ऊर्जा प्रदाय के विनियमन के दौरान, यदि विक्रेता अधिशेष ऊर्जा की पूर्ण मात्रा को नहीं पा सकता है या नहीं पाता है तो उत्पादन केंद्र अननुसूचित विनिमय (यूआई) तंत्र के अधीन ऊर्जा को तब अंतःक्षेपित कर सकता है यदि ग्रिड की परिस्थिति उस प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र, जिसमें वह अवस्थित है, की अनुज्ञा से, समय-समय पर यथासंशोधित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अननुसूचित विनिमय प्रभार तथा सहबद्ध विषय) विनियम, 2009 के अनुबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसा अनुज्ञात करती है। जल रिसाव की दशा में, ऊर्जा प्रभार की हानि, पहले प्रभार पर ऊर्जा की बिक्री के माध्यम से और/या विनियमन के कारण अधिशेष ऊर्जा के अतःक्षेपण से अर्जित राजस्व होगा तथा अतिशेष रकम को विनियम 16 के अनुसार समायोजित किया जाएगा।

19. यदि विनियमित इकाई साथ-साथ उत्पादन कंपनी और पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को बकाया शोध्यों की देनदार है तो उत्पादन कंपनी के ऊर्जा प्रभारों तथा आनुषंगिक खर्चों के समायोजन के पश्चात्, ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त संदायों को उत्पादन कंपनी तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपने-अपने बकाया शोध्यों के अनुपात में तब तक बांटा जाएगा जब तक शोध्यों का संदाय नहीं कर दिया जाता है तथा अतिशेष रकम, यदि कोई हो, को विनियमित इकाई को दिया जाएगा।

अध्याय 5
प्रकीर्ण

20. **कठिनाई को दूर करने की शक्ति :** यदि इन विनियमों के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो आयोग साधारण या विनिर्दिष्ट आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगा जो अधिनियम के उपबंधों के असंगत न हो तथा जो कठिनाई को दूर करने के आवश्यक प्रतीत हों।

आलोक कुमार, सचिव

[विज्ञापन III/4/150/10/असा.]